भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-957

दिनांक 05 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

बीबीएमबी द्वारा तैयार किया गया गाद निकासी और तलछट प्रबंधन प्रस्ताव

†957. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को तैयार किए गए गाद निकालने और तलछट प्रबंधन प्रस्ताव का इसके उद्देश्यों, अनुमानित लागत, समय-सीमा और कवर किए गए जलाशयों सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त गाद निकालने/ड्रेजिंग प्रस्ताव को परामर्श या अनुमोदन के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को किस तारीख को भेजा गया था और क्या तब से कोई अनुस्मारक या अनुवर्ती पत्राचार जारी किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रेत, गाद और अन्य तलछट सहित निकाली गई सामग्री के उपयोग, निपटान या व्यवसायिक उपयोग के लिए प्रस्तावित योजना क्या है और क्या इससे किसी राजस्व या पारिस्थितिक लाभ की परिकल्पना की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बीबीएमबी इस परियोजना को लागत प्रभावी, पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और समयबद्ध तरीके से निष्पादित करने के लिए किसी विदेशी एजेंसियों, अंतरराष्ट्रीय सहयोग या उन्नत तकनीकी जानकारी को शामिल करने का प्रस्ताव करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (बीबीएमबी) ने हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर स्थित लुहणू ग्राउंड में भाखड़ा जलाशय की गाद निकासी हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य तलछट संचय तथा जलाशय की भंडारण क्षमता में हो रही कमी की समस्या का समाधान करने, संधारणीय जलाशय प्रबंधन को बढ़ावा देने तथा निकाली गई गाद के उपयोगी दोहन की संभावनाओं का अन्वेषण करना है। यह

परियोजना मंडी भरारी पुल से लुहणू ग्राउंड तक के इलाके को कवर करती है, जिसे सुगम पहुंच तथा अनुकूल तलछट विशेषताओं के कारण गाद निकासी के लिए उपयुक्त पाया गया है। इस प्रस्ताव में वर्ष के 8-9 महीनों की अवधि के दौरान, जब जलाशय का जल स्तर कम हो जाता है और क्षेत्र उजागर हो जाता है, 2 मीटर की गहराई तक गाद निकासी की परिकल्पना की गई है। यह प्रस्ताव राजस्व मॉडल पर आधारित है, जिसमें बीबीएमबी पर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा।

(ख) : बीबीएमबी द्वारा गाद निकासी का प्रस्ताव दिनांक 29.10.2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार को अनुमोदन हेतु भेजा गया था। दिनांक 23.12.2025 को, हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीबीएमबी को सूचित किया कि हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भंडारण का निवारण) नियम, 2015 के नियम 33 के तहत रॉयल्टी के भुगतान के बाद जलाशयों की गाद निकासी और उत्पन्न खनिजों को उठाने/परिवहन की अनुमति है। इसके पश्चात्, हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक 31.12.2025 को भाखड़ा जलाशय की गाद निकासी के दौरान निकाले जाने वाले खनिजों के लिए रॉयल्टी, उपकर और करों की सूचना बीबीएमबी को दी। तदनुसार, बीबीएमबी ने दिनांक 02.01.2026 को गाद के उत्खनन और नीलामी हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) प्रकाशित किया है।

(ग) : रेत, सिल्ट और मिट्टी से युक्त निकाली गई गाद सामग्री का वाणिज्यिक उपयोग सफल बोलीदाता द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है। किसी भी अनुपयोगी सामग्री का निस्तारण पर्यावरणीय मानदंडों के अनुरूप निर्दिष्ट निस्तारण स्थलों पर किया जाएगा। इस राजस्व मॉडल के तहत, सफल बोलीदाता राज्य सरकार को प्रयोज्य रॉयल्टी, उपकर और करों का भुगतान करेगा, जिससे राजस्व सृजन के साथ-साथ जलाशय की भंडारण क्षमता में सुधार तथा सतत गाद प्रबंधन के माध्यम से लाभ प्राप्त होंगे।

(घ) : बीबीएमबी को जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की एक प्रमुख परियोजना, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण-2 और चरण-3, जिसे विश्व बैंक से वित्त पोषण और तकनीकी सहायता के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है, के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। इस परियोजना का उद्देश्य भाखड़ा और पोंग जलाशय क्षेत्रों के आस-पास तलछट प्रबंधन, तलछट नियंत्रण रणनीतियों का निर्माण, तलछट-उत्पादन करने वाले हॉटस्पॉट और भूस्खलन-संभावित संवेदनशील क्षेत्रों का उपचार करना और जलाशयों की सक्रिय भंडारण क्षमता को बहाल करना है।

****